[2019] 1 एस.सी.आर. 812

श्रीमती भीमाबाई महादेव काम्बेकर (डी) द्वारा विधिक उत्तराधिकारी

बनाम

आर्थर आयात और निर्यात कंपनी एवं अन्य।

(सिविल अपील संख्या 1330/2019)

31 जनवरी, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्तिगण]

नामांतरण :

नामांतरण प्रविष्टियां - साक्षिक मूल्य - आयोजित: राजस्व अभिलेख में भूमि का नामांतरण ऐसी भूमि पर स्वामित्व का सृजन या समापन नहीं करता है - शीर्षक पर इसका कोई अनुमानित मूल्य भी नहीं है - यह केवल उस व्यक्ति को संबंधित भू-राजस्व का भुगतान करने में सक्षम बनाता है जिसके पक्ष में नामांतरण का आदेश दिया गया है - अपील खारिज कर दी गई।

स्वर्णी (श्रीमती) बनाम इंदर कौर (1996) 6 एससीसी 223: [1996] 5 सपल. एस.सी.आर. 165; बलवंत सिंह और एक अन्य बनाम दौलत सिंह (मृतक) द्वारा एल.आर.एस. और अन्य (1997) 7 एससीसी 137; नरसम्मा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2009) 5 एस.सी.सी. 591: [2009] 4 एससीआर 929 - पर भरोसा किया।

<u>विधि व्यवस्था संदर्भ</u>

[1996] 5 सपल. एस.सी.आर. 165 पैरा 8 पर आलंभ है

(1997) 7 एस.सी.सी. 137 पैरा 8 पर आलंभ है

[2009] 4 एससीआर 929 पैरा 8 पर आलंभ है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 1330।

2011 की रिट याचिका संख्या 6235 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 30.09.2011 के निर्णय और आदेश से।

शेखर नफाडे, श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्तागण, महेश अग्रवाल, यतीन शाह, गौरव गोयल, अभिकल्प प्रताप सिंह, सुश्री एस लक्ष्मी लायर, प्रतीक रुसिया, सुश्री आस्था मेहता, ई.सी.अग्रवाल, मनीष शर्मा, श्रीमती मयूरी रघुवंशी, वजोम रघुवंशी, प्रणय राज सिंह, सुश्री समीक्षा, सुश्री दीपा एम. कुलकर्णी, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, सुश्री आशा गोपालन नायर, उपस्थित पक्षकारों के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय **अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति** द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील 2011 की रिट याचिका संख्या 6235 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसके तहत उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

3. इस अपील में शामिल छोटे विवाद की सराहना करने के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

4. इस तरह के विवाद के एक पक्ष के कहने पर इस अपील में इस न्यायालय में पहुंचा विवाद विवादित भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख में की गई प्रविष्टियों से उत्पन्न होता है और संबंधित है।

5. विवाद भूमि अभिलेख अधीक्षक की अदालत से शुरू हुआ। इसके बाद यह मामला अपील में भूमि अभिलेख उप निदेशक के पास पहुंचा। इसके बाद यह पुनरीक्षण के रूप में राज्य के पास पहुंचा और अंत में, रिट याचिका में उच्च न्यायालय में इसके परिणामस्वरूप आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसने अपीलकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर करने को जन्म दिया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

7. किसी भी भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेख में नामांतरण के सवाल पर विधि और पक्षकारों के अधिकारों को तय करते समय इसका विधिक मूल्य क्या है, इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा काफी अच्छी तरह से तय किया गया है।

8. इस न्यायालय ने लगातार माना है कि राजस्व रिकॉर्ड में किसी भूमि का उत्परिवर्तन ऐसी भूमि पर स्वत्व का सृजन या समापन नहीं करता है और न ही स्वत्व पर इसका कोई अनुमानित मूल्य है। यह केवल उस व्यक्ति को सक्षम बनाता है जिसके पक्ष में नामांतरण का आदेश दिया जाता है। (देखें स्वर्णी (श्रीमती) बनाम इंदर कौर, (1996) 6 एस.सी.सी. 223, बलवंत सिंह और अनर बनाम दौलत सिंह (मृत) द्वारा एल.आर.एस. और अन्य, (1997) 7 एससीसी 137 और नरसम्मा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, (2009) 5 एससीसी 591)।

9. रिट याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त विधि पर भरोसा किया और हमें उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष से अलग होने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला। यह किसी भी हस्तक्षेप के लिए उचित नहीं है।

10. यह विवाद में नहीं है कि विचाराधीन भूमि के संबंध में सिविल मुकदमे पक्षकारों के बीच न्यायालयों में लंबित हैं। इसलिए, उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 1 एससीआर इस सवाल पर कोई तथ्यात्मक जांच शुरू करना उचित नहीं होगा कि क्या प्रविष्टियां ठीक से की गई थीं या नहीं और इस अपील में वे किसके कहने पर की गई थीं आदि। यह तब और अधिक होता

है जब वे न तो स्वत्व तय करते हैं और न ही भूमि के संबंध में पार्टियों के स्वत्व को समाप्त करते हैं।

11. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नाफडे की प्रस्तुति पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, जब उन्होंने विधिक तथ्यों का आग्रह किया था।

12. अंत में, हमें इस अपील में कोई आधार नहीं मिलता है। यह विफल रहता है और तदनुसार खारिज किया जाता है।

कल्पना के. त्रिपाठी। अपील खारिज की गई।

Digitally signed by DEVASHISH
Date: 2023.10.26 16:57:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court